POLICE COMMISSIONERATE
GAUTAM BUDH NAGAR
सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 06.05.2025

1.थाना इकोटेक 3 पुलिस व नारकोटिक्स टीम के संयुक्त प्रयास से अवैध गांजा बेचने वाले 02 अभियुक्त (गांजा तस्कर) गिरफ्तार, कब्जे से 08 किलोग्राम अवैध गांजा (कीमत करीब 85 हजार रूपये), प्लास्टिक के खाली पाउच एवं 01 स्टेपलर, एक ऑटो बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 06.05.2025 को थाना इकोटेक 3 पुलिस व नारकोटिक्स टीम द्वारा संयुक्त प्रयास से लखनावली रोड, डम्पिंग यार्ड, ग्राम सुत्याना के पास से 02 गांजा तस्कर 1.कैलाश कुमार पुत्र रमेश सिंह 2.शिवम राघव पुत्र सत्यपाल सिंह राघव को **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों द्वारा ऑटो में बैठकर प्लास्टिक के पाउच में गांजा की पैकिंग कर रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. कैलाश कुमार पुत्र रमेश सिंह निवासी ग्राम धनसिया थाना जेवर जिला गौतमबुद्धनगर हाल पता सैक्टर 03 जनता फ्लैट थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 32 वर्ष
2. शिवम राघव पुत्र सत्यपाल सिंह राघव निवासी ग्राम रसूलपुर डासना थाना जारचा जनपद गौतमबुद्धनगर हाल पता 03 जनता फ्लैट थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 26 वर्ष

अभियुक्त कैलाश कुमार का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 162/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इकोटेक 3 गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 164/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इकोटेक 3 गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 159/2024 धारा 392/411 भादवि थाना इकोटेक 3 गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0सं0 542/2019 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इकोटेक 3 गौतमबुद्धनगर

अभियुक्त शिवम राघव का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 162/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इकोटेक 3 गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. 08 किलोग्राम अवैध गांजा
2. प्लास्टिक के खाली पाउच व 01 स्टेपलर
3. एक ऑटो रजि0न0 यूपी 16 एलटी 9716

2. वादी को डिजिटल अरेस्ट कर 2,39,16,700 रुपए की धोखाधड़ी/ठगी करने वाले गैंग का 01 साइबर अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 06/05/2025 को साइबर थाना नोएडा द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये वादी को डिजिटल अरेस्ट कर 2,39,16,700 रुपए की धोखाधड़ी/ठगी करने वाले अभियुक्त पुष्पेंद्र पुत्र राजन सिंह को जनपद मथुरा उत्तर प्रदेश से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- वादी ने दिनांक 18/03/2025 को लिखित तहरीर देकर मु0अ0सं0-0019/2025 धारा 308(2), 319(2), 318(4) बी0 एन0 एस0 व 66 डी आई.टी.एक्ट का अभियोग थाना साइबर क्राइम नोएडा पर पंजीकृत कराया गया, जिसमें साइबर अपराधी द्वारा वादी को डिजिटल अरेस्ट कर पुलिस का अधिकारी बनकर मानव तस्करी करने के नाम पर डराकर केस होने का भय दिखाकर 2,39,16,700 रुपए की धोखाधड़ी की गयी। विवेचना मे त्वरित कार्यवाही करते हुए धोखाधड़ी मे लिप्त संदिग्ध बैंक खातो को तत्काल फ्रीज़ कराया गया है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त द्वारा बताया गया कि अपने अन्य सहयोगियो के साथ मिलकर धोखाधड़ी का कार्य करते हैं एवं अपने गाँव व आस पास के भोले भाले लोगों के अकाउंट लेकर उनमे धोखाधड़ी के पैसे मँगवाते है ओर आपस मे वितरित कर लेते हैं, इसी क्रम मे अभियुक्त के केनरा बैंक के खाते मे धोखाधड़ी के 6,30,494 रुपये का आना पाया, जिसको स्वयं बैंक मे जाकर केश के रूप मे प्राप्त कर लिया और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर आपस मे वितरित कर लिया। अन्य अभियुक्तगणों की गिरफ़्तारी शीघ्र की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. पुष्पेंद्र पुत्र श्री राजन सिंह निवासी ग्राम चाँदपुर कलाँ, थाना नोझील जनपद मथुरा उम्र- 19 वर्ष।

नोट—

1. मुकदमा उपरोक्त मे वादी के साथ हुई धोखाधड़ी के 6,72,237 रुपये फ्रीज़ कराए जा चुके है, रिफन्ड की कार्यवाही प्रचलित है।
2. धोखाधड़ी मे प्रयुक्त बैंक खाते को एनसीआरपी पोर्टल पर चेक करने पर 02 शिकायते (उत्तर प्रदेश- 01, वेस्ट बंगाल- 01) दर्ज पाई गई है, जिसके संबंध मे आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

साइबर जागरूकता सुझाव बिन्दु—

1. किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वाट्सअप कॉल और video call द्वारा पुलिस की वर्दी पहन कर किये जा रहे कॉल पर यकीन करने से पूर्व उक्त मो0न0 और बताये गये नाम व पद को GOOGLE SEARCH के द्वारा अथवा सम्बन्धित विभाग की वेवसाइट पर उपलब्ध अधिकारियों का और उनकी तैनाती स्थल की जाँच पडताल के बाद ही बतायी जा रही किसी बात का यकीन करें।
2. किये गये What's app call और video call के विषय में एक बार कोई जानकारी साझा करने से पूर्व उक्त मो0न0 के विषय में निकटवर्ती Cyber cell आथवा सम्बंधित विभाग जैसे नार्कोटिक्स, फेडेक्त कोरियर, CBI आदि विभिन्न संस्थानो के हेल्प डेस्क से भी जॉच पडताल करें।
3. अगर आपके द्वारा कोई भी पार्सल नही भेजा गया है अथवा पार्सल में यदि बताया जा रहा है कि एक पार्सल मिला है जिसमें आपका आधार कार्ड या मो0न0 मिला है उक्त कॉल पर यकीन ना करें वह साइबर क्रिमिनल का कॉल हो सकता है। अगर किसी विधिक कानूनी कार्यवाही की धमकी दी जा रही हो तो घबराये नही तत्काल इस बात की सूचना सम्बन्धित / निकटवर्ती थाने में अवश्य दें।

4. अगर आपके आधार की आई0डी0 /आपके नाम से कोई बैंक खाता खोले जाने की बात कही जा रही हो तो उसे तत्काल ब्लॉक कराने के लिये सम्बन्धित नजदीकी बैंक जाकर उक्त के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र कर उक्त बैंक खाते को बन्द कराने की कार्यवाही को अमल में लाया जाये।
5. यदि What's app call और video call द्वारा आपके खाते में हवाला अथवा मनी लॉन्ड्रिंग से सम्बन्धित धनराशि आने की बात कही जाये तो उक्त कॉल पर यकीन न करें क्योकि कोई भी सरकारी संस्था मनी लान्ड्रिग अथवा हवाले के पैसे के सम्बन्ध में द्वारा दूरभाष अवगत नही कराती है।
6. अगर What's app call अथवा video call द्वारा आपके खाते की जॉच के उपरान्त कोई पुलिस Clearance certificate की बीत की जाती है तो यह निश्चित तोर पर Cyber Fraudsters आप को गुमराह कर आप के खाते में मौजूद बैंक धनराशि को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते है।
7. किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा यदि आपको What's app call या video call कर आपको डराया या धमकाया जाता है तो आप इसके सम्बन्ध में अपने घर में मौजूद अन्य सदस्यो अथवा रिश्तेदारो को भी इसके विषय में अवश्य जानकारी दें।